न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 707 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गेमराराम पुत्र पाबूराम 2 मानाराम पुत्र पुरखाराम 3 मोटाराम पुत्र डूंगराराम 4 शंकराराम 5 चिमाराम 6 डालूराम पिसरान पुरखाराम 7 ढेलीदेवी पत्नी पुरखाराम 8 नेनूदेवी पत्नी पाबूराम 9 पूराराम 10 पोकरराम पिसरान डूंगराराम 11 भूराराम 12 भंवराराम पिसरान पाबूराम जाति सुथार निवासी रामलाल नगर बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 जवाराराम पुत्र वीरमाराम 2 जराराम 3 जीयाराम 4 भूपाराम पिसरान रामाराम 5 शेरूदेवी पत्नी रामाराम 6 हरूराम पुत्र रामाराम जाति सुथार निवासी रामलाल नगर बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 7 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए **RTA Act.**

उपस्थिति :–

1. श्री मनोज पारीक, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री मुकेश जैन, अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 06।

आदेश

दिनांक 23.12.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एंव कब्जाकाश्त के खेत मौजा रामलाल नगर पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 956 रकबा 6.2645 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खेत मौजा रामलाल नगर पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1792 / 954 रकबा 0.9955 हैक्टेयर व तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 06 के खेत खसरा संख्या 1793 / 594 रकबा 0.9955 हैक्टेयर भूमि जो संलग्न नक्शा में बरंग लाल से दर्शित भूमि में से चल रहें रास्ते जिसका वक्त सेटलमेंट से उपयोग में ले रहें है इसलिए उक्त मार्ग को खुलवाना चाहते हैं जो सड़क तक जाने के लिए एक मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता घोषित किया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत से आम रास्ते पर जाने वाले सड़क मार्ग पर आसानी पूर्वक प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के खेत के आगे चल रहे सरकारी मार्ग पर आवागमन हेतू पहुंच सकें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 06 के अधिवक्ता उपस्थित [illegible] अप्रार्थीगण ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.02.02 18:18:23 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण [illegible] 251ए / 2025 / 594 [illegible] 15.04 2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] मौजा रामलाल नगर पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 956 रकबा 6.2645 हैक्टेयर भूमि तक पंहुचने हेतु रास्ता राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर उपलब्ध नही है। खसरा संख्या 1792 / 954 रकबा 0.9955 हैक्टेयर में से 0.0607 हैक्टेयर की भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 50 गट्ठा व चौड़ाई 3 गट्ठा है।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 410000/— प्रति हैक्टेयर है जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि का मुआवजा राशि 49774/— है, जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्तो ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते की भूमि से प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने का न्यूनतम दूरी का रास्ता है जो वक्त निरीक्षण मौके पूर्णतः खाली है इस पर किसी प्रकार का कच्चा अथवा पक्का निर्माण नही किया हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के निकट स्थित खसरा संख्या 1481/1187 व खसरा संख्या 1184 की सीमा पर ग्रेवल रास्ता मौके पर चल रहा है जो राजस्व रेकर्ड में अंकित नही है। वर्तमान प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि व इसमे बनी रहवासी ढाणियों तक आवागमन पड़ौसी खसरों की भूमि में से होकर किया जाता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकर्ड अनुसार उपलब्ध नही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि के बदले समान क्षेत्रफल की भूमि अप्रार्थीगण को देने की मांग की गई जिसे प्रार्थीगण द्वारा अस्वीकार किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 06 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का रहवास खसरा संख्या 956 में नही है न ही उसकी ढाणियां व मवेशियों का बाड़ा व टांका इत्यादी बने हुए है। प्रार्थीगण का रहवास दुसरे खसरे में है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता जो अप्रार्थीगण के खेत में से होना अवगत करवाया है जो झूठा व गलत तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थीगण जो रास्ता का उपयोग कर रहा है जो खसरा संख्या 1481/1187 में भी मौजूद है जो वर्तमान में आवागमन हेतु चालू है तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 956 से सड़क मार्ग तक चलता है जो नजदीक है जो उक्त खसरा संख्या 1481/1187 से गुजरता है। खसरा संख्या 1481/1187 व खसरा संख्या 1184 के मध्य ग्राम पंचायत बेरीवाला तला द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया है जो आवागमन हेतु चालू है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से रंजिश रखता है तथा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से रास्ता लेना चाहता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता वर्तमान में अप्रार्थीगण के मवेशियों के बाड़ा बने हुए है तथा बैठने के ओरड़ी इत्यादी बने हुए है यदि उन्हे ध्वस्त किया जाता है तो अप्रार्थीगण को आर्थिक परेशानी होगी तथा खेतों के भी दो टूकड़े हो जायेंगे जो काश्त करने योग्य नही रहेंगे। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लम्बी दूरी का है तथा वर्तमान में रास्ते का उपयोग किया जा रहा है जो 100 मीटर की दूरी से अधिक है, जो डामर सड़क से भी जूड़ा हुआ नही है। यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेतों में रास्ता उपलब्ध करवाया जाता है तो अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 956 की भूमि में से रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाले रास्ते की भूमि के रकबे के बराबर अप्रार्थीण को रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 956 के निकटतम रास्ता खसरा संख्या 148[illegible] रंग हरे से दर्शित करते हुए प्रार्थीगण के सबसे निकटतम [illegible] है जिस पर वर्तमान में भी आवागमन चालू है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरु[illegible] कर अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से आवेदन प्रस्तुत किया जो सारहीन [illegible] तथ्यहीन होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण को हर्जाना के रूप में राशि रूपये 20000/— दिलाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.02.02 18:18:23 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा मौके का

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे आंशिक स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ते के उपभोग में ली जाने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि में से अप्रार्थीगण को भूमि देने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 06 द्वारा बहस कर निवेदन किया कि यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेतों में रास्ता उपलब्ध करवाया जाता है तो अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 956 की भूमि में से रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाले रास्ते की भूमि के रकबे के बराबर अप्रार्थीगण को भूमि उपलब्ध करवाया जावे। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 956 के निकटतम रास्ता खसरा संख्या 1481/1187 मे बरंग हरे से दर्शित करते हुए प्रार्थीगण के सबसे निकटतम एवं सुगम रास्ता बताया गया है जिस पर वर्तमान में भी आवागमन चालू है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जानबूझ कर अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से आवेदन प्रस्तुत किया जो सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से यह आवेदन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को यदि रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को राशि के बदले अप्रार्थीगण को भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि दी जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा रामलाल नगर पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 956 रकबा 6.2645 हैक्टेयर भूमि तक पंहुचने हेतु रास्ता राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर उपलब्ध नही है। खसरा संख्या 1792/954 रकबा 0.9955 हैक्टेयर में से 0.0607 हैक्टेयर की भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है, प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 50 गठ्ठा व चौड़ाई 3 गठ्ठा है, जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्तो ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते की भूमि से प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने का न्यूनतम दूरी का रास्ता है जो वक्त निरीक्षण मौके पूर्वतः खाली है इस पर किसी प्रकार का कच्चा अथवा पक्का निर्माण नही किया हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के निकट स्थित खसरा संख्या 1481/1187 व खसरा संख्या 1184 की सीमा पर ग्रेवल रास्ता मौके पर चल रहा है जो राजस्व रेकर्ड में अंकित नही है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकर्ड अनुसार [illegible] है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि के बदले समान [illegible] देने की मांग की गई जिसे प्रार्थीगण द्वारा अस्वीकार किया [illegible] इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि उक्त प्रस्तावित रास्ते की दूरी अन्य विकल्प से [illegible] होने से व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही होने के कारण प्रस्तावित किया जाना उचित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के तहत "प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है" जो तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.02.02 18:18:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

बाडमेर ग्रामीण की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा आपति प्रस्तुत की गई है कि अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि की राशि के बदले अप्रार्थीगण को भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि दी जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा रामलाल नगर पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 956 रकबा 6.2645 हैक्टेयर भूमि से डामर सड़क तक रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई / चौड़ाई (गट्ठा में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	जवाराराम पुत्र वीरमाराम कौम सुथार सा. देह खातेदार	1792 / 954	0.9955	बा.सो.	50 X 3	0.0607

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा रामलाल नगर पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 956 रकबा 6.2645 हैक्टेयर भूमि से डामर सड़क तक रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से गेम्बरराम पुत्र पाबूराम हिस्सा 1 / 20 चिमाराम पुत्र पुरखाराम हिस्सा 1 / 24 डालूराम पुत्र पुरखाराम हिस्सा 1 / 24 ढेलीदेवी पत्नी पुरखाराम हिस्सा 1 / 30 नैनूदेवी पत्नी पाबूराम हिस्सा 1 / 20 पूरा पुत्र डुंगरा हिस्सा 1 / 5 पोकर पुत्र डूंगरा हिस्सा 1 / 5 भूराराम पुत्र पाबूराम हिस्सा 1 / 20 भंवराराम पुत्र पाबूराम हिस्सा 1 / 20 मानाराम पुत्र पुरखाराम हिस्सा 1 / 24 मौटा पुत्र डुंगरा हिस्सा 1 / 5 शंकरराम पुत्र पुरखाराम हिस्सा 1 / 24 प्रार्थीगण की भूमि में से खातेदारान जवाराराम पुत्र वीरमाराम कौम सुथार सा. देह खातेदार को रकबा 0.0607 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि उक्त खातेदारान के नाम क्षतिपूर्ति भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली बाद फैसला होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.02.02 18:18:23 IST
Reason: SelfAttested

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरेआम इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर